भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1690

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई

1690. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री राजेश रंजन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत प्रति वर्ष कुल कितनी निधि खर्च की गई है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया है;

(ख) किए गए व्यय और इसके लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए पात्र राशन कार्डधारकों को इस योजना के अंतर्गत नियमित रूप से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक बिहार राज्य में कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है और अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न वितरित किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का भविष्य में इस योजना के दायरे का विस्तार करने अथवा तकनीकी पारदर्शिता (आधार सीडिंग, पोर्टेबिलिटी, ई-पीओएस) को और सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (कोविड-19 के दौरान शुरू की गई, दिनांक 31.12.2022 तक) के अंतर्गत डीसीपी राज्यों को जारी धनराशि का वर्षवार और राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

...2/-

केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं (एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी) को 1 जनवरी 2023 से आरंभ पीएमजीकेएवाई में समाहित कर लिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 से पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्यों को जारी धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार "खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है। जारी की गई वर्ष-वार और राज्य-वार धनराशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ग) एनएफएसए कार्यान्वयन की निगरानी को मजबूत करने और नियमित आधार पर अधिक गहन, तीक्ष्ण और व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के दौरान एनएफएसए, 2013 के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के संचालन के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है।

(घ) एनएफएसए का संचालन केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण आदि जैसी परिचालन जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य सरकारों की होती हैं।

(ङ) पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या और बिहार राज्य सहित जारी की गई राशि का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण (बिहार सहित) **अनुबंध-I, II और III** में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक बिहार को खाद्यान्न वितरण का विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

(च) प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता में सुधार लाने और इसमें होने वाली गड़बड़ियों को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस का पूर्णतः डिजिटलीकरण (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है (और चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है)। इसके अलावा, देश में 99.9% राशन कार्ड आधार से जुडे हैं।

इसके अलावा, देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.50 लाख (99.8%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण लगाकर स्वचालित कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1690 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत डीएफपीडी द्वारा डीसीपी राज्यों को जारी राशि का विवरण।

(करोड़ रु. में)

	राज्यों के नाम	पीएमजीकेएवाई वर्ष 2020-21	पीएमजीकेएवाई वर्ष 2021-22	पीएमजीकेएवाई वर्ष 2022-23	पीएमजीकेएवाई वर्ष 2023-24 (चरण-I से VII)	पीएमजीकेएवाई के तहत जारी कुल राशि
		1	**2**	**3**		**4=1+2+3**
1	आंध्र प्रदेश	2764.05	3248.92	1027.02	-	7039.99
2	बिहार	737.37	2773.64	5443.15	-	8954.16
3	छत्तीसगढ	2367.03	2438.53	2923.43	-	7728.99
4	गुजरात	-	7.13	22.34	-	29.47
5	मध्य प्रदेश	3202.55	5084.52	5181.35	2516.46	15984.88
6	महाराष्ट्र	981.60	870.45	1298.51	381.55	3532.11
7	ओडिशा	2964.20	2670.98	2422.25	720.53	8777.96
8	पंजाब	63.06	-	-	-	63.06
9	तेलंगाना	2357.64	1296.51	2551.87	56.51	6262.53
10	उत्तराखंड	492.97	301.29	434.92	-	1229.18
11	तमिलनाडु	-	-	139.07	-	139.07
12	पश्चिम बंगाल	-	-	1695.28	-	1695.28
	कुल	**15,930.47**	**18,691.97**	**23139.19**	**3675.05**	**61436.68**

*****

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1690 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.01.2023 से नई एकीकृत पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत डीसीपी राज्यों को जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)
1	असम				9.36
2	बिहार	10966.10	6557.64	9725.40	7393.98
3	पंजाब	1202.49	2064.56	2572.72	1816.19
4	मध्य प्रदेश	9471.50	16939.27	10189.04	7079.00
5	आंध्र प्रदेश	6635.97	6268.19	8398.98	4702.22
6	तेलंगाना	5242.76	5367.07	4178.27	2822.66
7	उत्तर प्रदेश **	0	0	9.09	119.92
8	पश्चिम बंगाल	6580.11	0.00	8899.88	9352.14
9	छत्तीसगढ	7574.81	5236.13	5695.55	1958.15
10	उत्तराखंड	1212.25	724.39	1159.26	80.75
11	हिमाचल प्रदेश		47.38		
12	तमिलनाडु	8685.95	7072.53	6033.90	5620.42
13	ओडिशा	7600.05	14473.68	9948.83	6140.07
14	कर्नाटक	2191.75	1222.13	1281.18	935.79
15	गुजरात	311.54	267.83	138.87	
16	केरल	1544.89	1151.85	1062.36	471.23
17	राजस्थान #			0.00	
18	महाराष्ट्र	2725.75	3923.29	327.74	1458.49
19	झारखंड ##	0	42.77	502.99	233.76
20	त्रिपुरा	148.67	106.51	64.26	
21	डीबीटी*	187.9	267.6	221.95	197.54
	कुल	72,282.49	71,732.82	70,410.27	50,391.67

** उत्तर प्रदेश गेहूं और चावल के लिए एक गैर डीसीपी राज्य है, लेकिन डीएफपीडी द्वारा मोटे अनाज वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है।

राजस्थान ने आरएमएस 2017-18 में गैर-डीसीपी को अपनाया है।

झारखंड केएमएस 2016-17 (केवल 1 जिले के लिए), 2017-18 (केवल 5 जिलों के लिए), 2018-19 (केवल 6 जिलों के लिए) के लिए डीसीपी था। उन्होंने केएमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी को अपनाया है।

*डीबीटी योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 से चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा सिक्किम संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की गई है।

*****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1690 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और रखरखाव तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26*
1	अंडमान और निकोबार	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	271.76	122.37	91.73	105.44	281.23	323.34
3	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	44.19	8.39	31.32	4.14
4	असम	368.08	545.75	826.91	321.75	443.94	226.61
5	बिहार	796.58	743.27	881.05	434.73	807.42	191.52
6	चंडीगढ़	0.16	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	124.07	72.48	181.88	355.06	84.38	60.26
8	दिल्ली	4.15	26.27	48.88	0.00	175.18	28.28
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव	0.43	1.01	1.55	0.87	1.89	0.00
10	गोवा	3.15	2.66	4.69	5.67	0.00	6.66
11	गुजरात	285.75	309.46	260.20	124.37	503.25	156.51
12	हरियाणा	19.23	178.23	43.26	45.78	308.83	7.26
13	हिमाचल प्रदेश	2.79	17.69	188.03	29.58	42.74	25.63
14	जम्मू एवं कश्मीर	137.85	47.51	184.08	139.96	89.82	4.02
15	झारखंड	170.94	282.50	187.02	99.64	101.25	372.42
16	कर्नाटक	84.39	764.16	354.89	148.70	112.18	549.25
17	केरल	23.53	121.00	110.03	403.63	72.07	52.45
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	634.60	129.13	844.50	234.66	247.90	92.06
21	महाराष्ट्र	501.91	289.72	621.69	703.54	765.27	306.91
22	मणिपुर	21.63	81.19	31.54	36.46	0.00	0.00
23	मेघालय	104.61	38.78	79.78	20.59	33.54	16.36
24	मिजोरम	11.08	7.71	12.57	0.00	6.54	1.06
25	नागालैंड	15.63	8.15	61.06	31.42	30.74	0.00
26	ओडिशा	18.44	294.18	110.86	872.57	195.70	102.74
27	पुद्दुचेरी	0.36	2.25	2.13	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	9.24	51.08	0.00	50.06	263.05	10.18
29	राजस्थान	374.02	585.84	406.77	479.15	257.65	181.36
30	सिक्किम	5.85	7.59	12.33	3.85	3.85	2.54
31	तमिलनाडु	54.32	131.65	543.01	145.90	524.60	10.21
32	तेलंगाना	253.36	69.18	147.95	378.50	111.84	24.50
33	त्रिपुरा	30.50	64.53	49.15	23.92	29.97	65.22
34	उत्तर प्रदेश	1520.57	195.77	1325.40	3213.86	614.57	390.90
35	उत्तराखंड	6.04	67.19	379.83	58.71	106.01	24.56
36	पश्चिम बंगाल	626.64	741.32	535.06	226.32	698.67	230.85
कुल जारी राशि		**6482.54**	**6000.00**	**8572.03**	**8704.46**	**6945.39**	**3467.78**

*-दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1690 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की वर्षवार और राज्यवार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)						
		दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.21	8.40	8.40	8.40	8.40	8.44	8.44
3	असम	251.53	250.30	251.17	251.17	251.17	247.98	247.98
4	बिहार	857.12	871.16	871.16	871.16	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	72.73	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	382.54	341.71	345.15	344.15	351.60	365.84	365.84
9	हरियाणा	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	29.88	29.88
11	झारखंड	263.70	263.70	264.26	264.19	264.19	264.19	264.19
12	कर्नाटक	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93
13	केरल	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	546.42	470.47	482.59	511.32	534.79	534.79	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	24.57	18.60	19.97	20.08	20.08	20.87	20.87
17	मेघालय	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46
18	मिजोरम	6.68	6.68	6.68	6.81	6.83	7.05	7.05
19	नागालैंड	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	323.60	324.33	324.15	325.03	325.98	325.17	325.17
21	पंजाब	141.51	141.51	141.51	141.51	141.45	141.45	141.45
22	राजस्थान	446.63	440.01	440.01	440.01	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	3.79	3.79	3.79	3.81	3.81	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	357.34	364.69	364.69	364.12	364.12	364.12	364.12
25	तेलंगाना	191.62	191.62	191.62	191.62	191.62	191.70	191.70

26	त्रिपुरा	24.83	24.83	24.83	24.43	24.43	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1520.59	1465.94	1487.44	1497.77	1505.19	1498.70	1498.70
28	उत्तराखंड	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान और निकोबार	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0:61	0.61
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव	2.91	2.86	3.02	2.69	2.69	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.80	2.80	2.76	2.99	2.99	2.99	2.99
34	पुद्दुचेरी (डीबीटी)	6.15	6.30	6.23	6.34	6.34	6.34	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	72.05	72.41	72.41	72.41	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
कुल		**8095.22**	**7932.80**	**7972.53**	**8010.70**	**8049.94**	**8056.05**	**8056.05**

*****

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1690 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक बिहार को खाद्यान्न वितरण का विवरण

वित्त वर्ष	गेहूं वितरण	चावल वितरण	मोटे अनाज का वितरण
2019-20	6,58,891	9,88,353	-
2020-21	27,96,383	53,55,167	-
2021-22	57,07,433	85,62,769	-
2022-23	15,43,015	1,02,47,703	-
2023-24	10,39,981	41,65,833	-
2024-25	12,38,641	37,29,058	-
2025-26 (नवंबर 2025 तक)	6,71,452.50	26,97,222.57	-

*ऊपर दिए गए वितरण आंकड़ों में कोविड के दौरान (अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक) पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण भी शामिल है

*वित्त वर्ष 2025-26 का डाटा केवल नवंबर 2025 तक का है

*****